न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस
पत्रावली संख्याः— 26/2018/निगरानी

हरलाल यादव पुत्र श्री श्यामाराम यादव आयु 70 वर्ष जाति यादव निवासी अरणियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति, अरणियां पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामोतार पुत्र स्व0 श्री झुंथाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति, पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध निर्णय न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति श्रीमाधोपुर अपील संख्या 53/2007 अनुवानी रामोतार बनाम अरणिंया ग्राम सेवा सहकारी समिति अरणिंया

वकील प्रार्थी श्री शिवदयाल यादव

निर्णय

दिनांकः—14.06.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे अप्रार्थी सं0 1 की ओर से एक साधारण आवेदन अपील मेमो के रूप मे बिना सशपथ कथन किये दिनांक 16.09.1981 को प्रार्थी के पक्ष मे जारी किये पट्टे के विरूद्ध लगभग 26 वर्ष बाद मियाद बाहर पेश कर अंकित किया कि प्रार्थी के पक्ष मे दिये गये पट्टे के बारे मे अप्रार्थी अनभिज्ञ था। पट्टे का नाप गलत होने की वजह से मकान पट्टा भूमि मे आ रहा है। अपीलाण्ट का मकान 20 वर्षो से निर्मित है। अपीलाण्ट को 20 वर्षो बाद अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया जो गलत है, अतः यथास्थिति फरमाकर प्रकरण की जांच पंचायत समिति स्तर पर करवाने की कृपा करे। अप्रार्थी की ओर से उक्त इस्तदुआ चाही गयी जिसके संबंध मे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को कई बार सुनवायी कर अपील का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया, परन्तु प्रार्थी के निवेदन पर कोई भी गोर नहीं फरमाया जाकर प्रार्थी को सुनवाई हेतु तारीख पेशी भी नही बताई गई। प्रार्थी ने सुनवाई कर अंतिम निर्णय हेतु अलग से अर्ली हियरिंग का आवेदन भी दिनांक 16.08.2018 को प्रस्तुत कर दिये जाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नही की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के समक्ष अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे जारी पट्टा दिनांकित 16.09.1981 के विरूद्ध लगभग 26 वर्ष बाद एक साधारण आवेदन अपील मेमो के रूप मे प्रस्तुत कर पटटे के संबंध मे जांच करवाने हेतु कतई गलत आधारों पर आवेदन पेश किया गया है। निगरानीकर्ता/प्रार्थी के पक्ष मे जारी पट्टेशुदा भूमि का अधि0 न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा दौराने सुनवाई अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सूचना दिये बिना एवं मौका स्थिति जांच रिपोर्ट लिये बिना ही उक्त आदेश पारित किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय/डिक्री किया जाता है तथा उससे भिन्न पक्षकार द्वारा निर्णय के विरूद्ध अपीलेट न्यायालय मे अपील पेश की जाती है तो उस पक्षकार को धारा 96 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अपील पेश करने की आज्ञा न्यायालय से लेना कानूनन आवश्यक है, जिसके अभाव मे अपील सुनवायी हेतु ग्राह्य नही है। राज्य सरकार द्वारा किसान वर्ग को उन्नत कृषि व अधिक उत्पादन हेतु उन्हे बीज, खाद, उर्वरक व ऋण अनुदान करने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया गया तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को समय समय पर राज्य सरकार द्वारा बजट देकर किसान को मजबुत करने का कार्य किया जाता रहा है, अन्य ग्राम सेवा सहकारी समिति की तरह ही प्रार्थी ग्राम सेवा सहकारी समिति का भी गठन किया गया, तथा दिनांक 16.09.1981 को प्रार्थी के पक्ष मे पट्टा जारी किया गया ताकि किसानो के हित मे सहकारी समिति का विस्तार हो सके। परन्तु अप्रार्थी ने बिना किसी आधार के सारहीन अपील पेश कर किसानो का अहित किया गया है। उक्त पट्टाशुदा भूमि पर आज दिन तक प्रार्थी संस्था का ही व्यवहारिक व वास्तविक कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मे सम्पूर्ण सुनवायी हो जाने पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रार्थी द्वारा बार बार निवेदन किया गया, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नही करने पर प्रार्थी न उक्त प्रकरण मे जल्द सुनवाई कर अन्तिम निर्णय किये जाने हेतु अलग से एक आवेदन दिनांक 16.08.2018 को पेश किया गया, उसके उपरान्त भी आज दिन तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नही किया है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी संस्था के पक्ष में जारी पट्टा दिनांकित 16.09.1981 के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 को जारी नोटिस पर विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित रहा। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 16.09.1981 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे के विरूद्व श्री रामोतार पुत्र स्व0 झूंथाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम अरनिंया (रेस्पो. संख्या 1) ने दिनांक 26.07.2007 को पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के समक्ष उक्त पट्टे के सम्बंध में यथास्थिति आदेश फरमाकर प्रकरण की जांच पंचायत समिति स्तर पर करवाने हेतु आवेदन पेश किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त आवेदन पर पंचायत समिति द्वारा जांच करने एवं अग्रिम आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश पारित कर दिया गया। प्रार्थी के पक्ष में उक्त पट्टा दिनांक 16.09.1981 को जारी किया गया है। उक्त पट्टे के विरूद्व श्री रामोतार द्वारा दिनांक 26.07.2007 को एक साधारण आवेदन पेश करने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर द्वारा उस पर यथास्थिति आदेश पारित कर दिया जो गलत है। अप्रार्थी द्वारा 26 वर्ष पश्चात् केवल मात्र आवेदन पेश करने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त आवेदन के सम्बंध में किसी प्रकार की जांच किये बिना ही यथास्थिति आदेश पारित कर दिया गया। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर द्वारा जारी आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में सरपंच ग्राम पंचायत अरनिंया द्वारा प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 16.09.1981 को ग्राम सेवा सहकारी समिति अरनिंया के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। श्री रामोतार पुत्र स्व0 श्री झूंथाराम यादव निवासी अरनिंया द्वारा पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के समक्ष ग्राम पंचायत अरनिंया द्वारा जारी किये गये उक्त पट्टे के विरूद्व आवेदन पेश कर प्रकरण में यथास्थिति आदेश फरमाकर प्रकरण की जांच पंचायत समिति स्तर पर करवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति

Web Copy - Not Official

की ओर से विकास अधिकारी पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1555–57 दिनांक 26.07.2007 द्वारा अध्यक्ष/व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. अरनिंया को उक्त अपील के सम्बंध में पंचायत समिति द्वारा जांच करने एवं अग्रिम आदेशों तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु लिखा गया। उक्त आदेश पारित करते समय कोई अपील दर्ज करना या अपील सुनवाई की प्रकिया आरम्भ करना पत्रावली पर प्रकट नहीं होता है। प्रार्थी संस्था के पक्ष में ग्राम पंचायत अरनिंया द्वारा उक्त पट्टा दिनांक 16.09.1981 को जारी किया गया है। अप्रार्थी रामोतार द्वारा उक्त पट्टे के विरूद्व आवेदन लगभग 26 वर्ष पश्चात् दिनांक 26.07.2007 को प्रस्तुत किया गया है। प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की ओर से विकास अधिकारी पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर द्वारा यथास्थिति आदेश केवल मात्र अप्रार्थी रामोतार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर किया गया है। जबकि कानूनन यथास्थिति आदेश हेतु अप्रार्थी को सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील/निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा उक्त आवेदन के सम्बंध में किसी प्रकार की जांच किये बिना ही यथास्थिति आदेश पारित किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 26.07.2007 को प्रस्तुत अपील आवेदन को दर्ज रजिस्टर में दर्ज करने के सम्बंध में पत्रावली पर किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की ओर से विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा अपने पत्र कमांक 1555–57 दिनांक 26.07.2007 को पारित यथास्थिति आदेश के पश्चात् वर्ष 2018 तक उक्त आवेदन के सम्बंध में किसी प्रकार की कार्यवाही करने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। व्यवस्थापक अरनिंया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. अरनिंया द्वारा जिला कलक्टर सीकर को शिकायती पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त शिकायत की जांच करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 14.03.2018 को जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 में अंकित किया गया है कि "सारांश के रूप में इस प्रकार बिना साक्ष्य के इतने लम्बे समय तक यथास्थिति रखना उचित प्रतीत नहीं होता है व पट्टा संस्था के हित में है। संस्था सार्वजनिक है व पट्टा वर्तमान प्रचलित राज पंचायत सामान्य नियम 1996 से पूर्व का है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह उचित प्रतीत होता है कि विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा अपील आवेदन को दर्ज रजिस्टर में दर्ज किये बिना ही प्रशासनिक एवं स्थापना स्थायी समिति की ओर से दिनांक 26.07.2007 को केवल मात्र अप्रार्थी रामोतार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर यथास्थिति आदेश दिनांक 26.07.2007 दिया गया है। उक्त यथास्थिति आदेश इतने लम्बे समय तक स्थिर रहने योग्य नहीं है। क्योंकि बिना अपील दर्ज किये और बिना किसी आधार के सरसरी दृष्टि से एक आवेदन मात्र की प्रस्तुति पर यथास्थिति का आदेश पारित करना कतई नियमानुकूल नहीं माना जा सकता। और इस प्रकार के आदेश के उपरांत भी निगरानीकर्ता या विकास अधिकारी के आग्रह पर भी कोई बैठक नहीं करना और अग्रिम सुनवाई नहीं करना भी विधिक प्रकिया की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की ओर से विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 26.07.2007 को पारित यथास्थिति आदेश खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official